

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उपरो जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, महमूदाबाद में संकटा देवी मन्दिर के निकट नालों का निर्माण कार्य किये जाने से सम्बन्धित प्रायोजना की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक (नि.-8), सीएण्डडीएस, उपरो जल निगम के पत्र संख्या-1174/मओप्रओनि0-8, दिनांक 18.11.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत संकटा देवी मन्दिर के निकट नालों का निर्माण कार्य किये जाने की प्रायोजना के क्रियान्वयन हेतु लागत ₹ 305.44 लाख (₹ तीन करोड़ पांच लाख चौवलिस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के राज्य सेक्टर के नगरीय जल निकासी योजना से प्रथम किश्त के रूप में ₹ 35.00 लाख (₹ पैंतीस लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उपरो जल निगम तथा सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (2) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
- (3) योजना में प्रस्तावित बाट आइटम्स का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को राखने की दृष्टि से प्रायोजना पर कार्य से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपोजिट खाता/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) प्रायोजना का निर्माण कार्य समसय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से संबंधित कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-12-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा।
- (12) कार्य की विशिष्टता, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकाय/कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा में ही पूर्ण की जायेगी।
- (13) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (14) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(Handwritten Signature)

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उपग्रो व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भगदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-14/2017/4008(1)/नौ-5-16-156बजट/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- जिलाधिकारी, सीतापुर।
- 4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उपग्रो लखनऊ।
- 6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उपग्रो जल निगम, लखनऊ।
- 7- अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद।
- 8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उपग्रो लखनऊ।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 व 9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-03/01/2017


प्रेषण संख्या:- 14
आवंटन आदेश संख्या:- 001-14-2017-4008-9-5-16-156B-16
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	3500000 251162000	3500000 251162000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3500000 251162000	3500000 251162000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया पैंतीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया पचचीस करोड़ ग्यारह लाख बासठ हजार


(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी